केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र - IV (PAPER - IV) विधि (सपुस्तक) - LAW (With Books)

दिनांक : 19.06.2013 (DATE :19.06.2013)

समय : 2.00 अ0 से 5.00 अ0 (TIME:2.00 PM to 5.00 PM)

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS : 100) उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

टिप्पणी :

- 1. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 7 अनिवार्य है।
- 2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
- 3. परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर दे सकते हैं।
- 4. सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार का उल्लेख अवश्य करें।

संबंधित पुस्तकें :

- 1. भारतीय संविधान
- 2. भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)
- 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)
- 4. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)
- 5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1)
- 6. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16)

Note:

- 1. Answer any five questions. Question no. 7 is compulsory.
- 2. All questions carry equal marks.
- 3. Candidates have options to answer in Hindi.
- 4. Relevant authority must be quoted with all answers.

CONCERNED BOOKS:

- 1. The Constitution of India
- 2. The Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)
- 3. The Code of Criminal procedure 1973 (2 of 1974)
- 4. The Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)
- 5. The Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)
- 6. The Provisional collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार को परिभाषित करें। प्रत्येक विधि में से न्यूनतम एक परिभाषा लिखना अनिवार्य हैं।

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973</u> :	(क) शिकायत	(ख)	जाच–पड़ताल
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872:	(ग) मामले के तथ्य	(ঘ)	मौखिक साक्ष्य
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 :	(ड़) न्याय की अदालत	(च)	कपटपूर्वक
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908ः	(छ) अधिकार दिलाने वाला आदेश	(ज)	वाद पर स्थगन

Q. 1. Define <u>any four</u> of the following. <u>One definition from each is compulsory</u>.

Code of Criminal Procedure, 1973:	a) Complaint	b)	Inquiry
Indian Evidence Act, 1872:	c) Fact in issue	d)	Oral Evidence
Indian Penal Code, 1860:	e) Court of Justice	f)	Fraudulently
Code of Civil Procedure, 1908:	g) Decree	h)	Stay of suit

- प्रश्न 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन किन्हीं तीन की व्याख्या करें :--
 - (क) अपराध तत्व-निकाय समूह
 - (ख) लेखा प्रविष्टियां जब प्रासंगिक हो
 - (ग) गौण साक्ष्य
 - (घ) स्वीकृति निश्चायक प्रमाण नहीं है लेकिन विबंधन है
- (ङ) साक्ष्य की प्रस्तुति एवं प्रभाव और प्रमाण की जिम्मेदारी
- (च) साक्षी की योग्यता, सक्षमता, विशेषाधिकार व ग्राह्यता
- Q.2. Explain <u>any three</u> under the Indian Evidence Act, 1872:-
 - 1) Corpus delicti.
 - 2) Entries in books of account when relevant.
 - 3) Secondary evidence.
 - 4) Admissions not conclusive proof, but may stop.
- 5) Production and Effect of evidence of the Burden of proof.
- 6) Competency, compellability, privilege and admissibility of witness.
- प्रश्न 3. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित में से किन्ही तीन का वर्णन करें।
 - (क) खोज, जांच आदि का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति
 - (ख) निष्पादन को लागू करने की न्यायालय की शक्ति
 - (ग) विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए पत्र
 - (घ) विदेशियों के विरूद्ध वाद
 - (ङ) न्यायालय के मांगने पर राय देने की शक्ति

- Q.3. Describe any three of the following under the Code of Civil Procedure, 1908.
 - 1) Power of Court to order discovery and the like.
 - 2) Power of Court to enforce execution.
 - 3) Commissions issued by foreign courts.
 - 4) Suits against aliens.
 - 5) Power to state a case for opinion of Court.
- प्रश्न 4. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन निम्नलिखित का वर्णन करें।
 - क) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन प्रावधान के बारे में घोषणा व घोषणाएं करने की शक्ति
 - ख) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन घोषणाओं का प्रभाव
- Q.4. Describe the following under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.
 - Declared provision and power to make declarations under the Provisional Collection of Taxes Act. 1931
 - b) Effect of declarations under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.
- प्रश्न 5. निम्नलिखित में से **किन्हीं पांच** के बारे में यह बताने का प्रयास करें कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन उनके लिए क्या दण्ड विहित है।
 - (क) लोकसेवक द्वारा पारितोषण लेना
 - (ख) लोकसेवक द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जायदाद खरीदना या बोली लगाना
 - (ग) लोकसेवक द्वारा दंगों के नियंत्रण के दौरान उस पर हमला करना या व्यवधान पैदा करना
 - (घ) अदालती सम्मन प्राप्ति या कार्यवाही की उपेक्षा करके भागना
 - (ङ) घूस लेना
 - (च) झूठी सूचना देना
 - (छ) न्यायालय में धूर्तता से झुठे दावे करना
- Q. 5. Attempt any five. What is the punishment under the Indian Penal Code, 1860?
 - a) Public servant taking gratification.
 - b) Public servant unlawfully buying or bidding for property.
 - c) Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.
 - d) Absconding to avoid service of summons or other proceeding.
 - e) For Bribery.
 - f) Furnishing false information.
 - g) Dishonestly making false claim in Court.
- प्रश्न 6. दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 - (क) वारण्ट मामले
 - (ख) दस्तावेज व अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन
 - (ग) एक से अधिक अपराध के लिए मुकदमा
 - (घ) भारत के बाहर किए गए अपराध
- Q. 6. Write a short note on any three of the following as per Code of Criminal Procedre, 1973.
 - a) Warrant case.
 - b) Summons to produce document or other thing.
 - c) Trial for more than one offence.
 - d) Offences committed outside India.
- प्रश्न 7. सम्बद्ध प्राधिकार सहित भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित में से **किन्हीं तीन** का वर्णन करें।
 - (क) वित्त विधेयक व संसद में इनकी प्रस्तुति
 - . (ख) संसद में बहस पर रोक व संसद की कार्यवाही की जांच अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर
 - (ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष इजाजत
 - (घ) अनुदान मांगों की स्वीकृति की लोक सभा की शक्ति
 - (ड) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां
- Q.7. Describe any three of the following as per the Constitution of India with relevant authority.
 - a) "Money Bills" and its introduction in Houses or Parliament.
 - b) Restriction on discussion in Parliament and Courts not to inquire into proceedings of Parliament.
 - c) Special leave to appeal by the Supreme Court.
 - d) Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
 - e) Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General and its reports.
